आदेश से रोहि

9-5-17 पत्रावली राजीनामा लोक अदालत कैम्प दाखिल पर पेश हुई। निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

[illegible]

1. श्री [illegible] वल्द बलदेव जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री धन्ना वल्द बलदेव जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री शंकर वल्द मथरा जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री भैरू वल्द काशी रेगर निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री गोतम वल्द भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्पुरी तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्री जगदीश वल्द भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्पुरी तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128
राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 09.05.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जित्याखेडी प0ह0—दांथल, भू.अ.नि. क्षैत्र—सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 50 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, आराजी सं0 1538/50 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2017 को पंजीबद्व किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 05 उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी । अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील व जिला भीलवाडा के ग्राम जित्याखेडी, प0ह0—दांथल में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 50 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, आराजी सं0 1538/50 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात् 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवें। । प्रार्थी इस कार्य के लिए तहसील भीलवाडा में रूपये 900/— अक्षरे नो सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में जमा करायेगें एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फीस 500/— अक्षरे पॉच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा